न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर
अपील सूचना अधिकार संख्या 70/2022
(GCMS 2022/242)(212205904186209)

जसवन्त सिंह पुत्र जयमलराम जाति जाट निवासी वार्ड नं 11, मिर्जेवाला, तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, श्रीमान् तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.01.2024

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री जसवन्त सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुए। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी ने तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2022 से एक बिन्दु की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे निश्चित समय सीमा में उपलब्ध नहीं करवाई है इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाकर, अधिनियम के प्रावधानुसार दण्डित कर, वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना के साथ यह अपील है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी जसवन्त सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 21.07.2022 के द्वारा तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर से निम्न एक बिन्दु की सूचना चाही थी :

चक 11 एफ बड़ा के मुरब्बा नम्बर 29 नया 16 के किला नं. 21 प 22 में हजारी वल्द लूणा के नाम दर्ज कृषि भूमि वर्तमान में दौलतराम व बलवीर सिंह पिसरान मुखत्यार के नाम किस आधार पर दर्ज की गई है, उसकी प्रमाणित प्रति सहित जानकारी उपलब्ध करवायी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rain
Date: 2024.01.23 17:23:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक भू.अ./आर.टी.आई./2022/4847 दिनांक 21.11.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार दिया है:

> उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी जसवंत सिंह के प्रार्थना पत्र बाबत इस कार्यालय के पत्र क्रमांक भू.अ./3004 दिनांक 25.08.2022 के तहत प्रार्थी को सूचना प्रेषित कर दी गई थी। इसलिए कार्यालय में उपलब्ध रिकॉर्ड भू प्रबन्ध (सैटलमैंट) जमाबन्दी तक मु.नं. 16 कि.नं. 21,उ 22 में दौलतराम, बलवीर सिंह पिसरान मूलचन्द का नाम ही दर्ज है। सम्बन्धित कर्मचारी मय रिकॉर्ड तारीख पेशी तक भिजवाया जा रहा है।
>
> सूचना सेवा में सादर प्रेषित है।
>
> -sd-
> तहसीलदार (भू.अ.)
> श्रीगंगानगर

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपने जवाब के साथ अपीलार्थी को दिये गये जवाब की प्रति शामिल नहीं की है, जिससे यह ज्ञात नहीं होता कि तहसीलदार (भू.अ.), श्रीगंगानगर ने अपीलाथी को दिनांक 25.08.2022 को दिया गया जवाब सही अथवा नहीं? तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर ने अपने अपील के जवाब के साथ डिस्पैच रजिस्टर के क्रमांक 3001 से 3021 और टिकट रजिस्टर के क्रमांक 2001 दिनांक 12.07.2022 से दिनांक 22.08.2022 की प्रति उपलब्ध करवाई है। डिस्पैच रजिस्टर के क्रम संख्या 3004 दिनांक 25.08.2022 पर अपीलार्थी का नाम अंकित है जबकि टिकट रजिस्टर में दिनांक 18.08.2022 पर अपील[illegible] का नाम अंकित है, जो सम्भव प्रतीत नहीं होता है तथा अपीलार्थी ने यह अपील [illegible] के करीब 1 से 1½ माह बाद प्रेषित कर निवेदन किया है कि उसे जवाब प्राप्त नहीं हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:13:28 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

इसलिए अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है और तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि **वे अपीलार्थी को रजिस्टर्ड डाक से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानानुसार पुनः जवाब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।**

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति तहसीलदार (राजस्व), श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावें एवं अपीलार्थी को आदेश की प्रति सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.01.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अंशदीप)

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2024.01.23 17:23:28 IST
Reason: SelfAttested